न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45 / 2023

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट–
हनुमानराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी बूल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2187 दिनांक 20.09.2010 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 0–12 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 20.09.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा भूमि के खातेदारान हेमाराम भागीरथ पिता जगरूपा कौम विश्नोई साकिन डारों की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 20.09.2010 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 00–12 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छ[illegible] निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान का[illegible] धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार [illegible] जमीन का राजस्व[illegible] में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की[illegible]ान हल्का पटवारी कोजा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी की भूमि में से 00–12 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2187 दिनांक 20.09.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा किस्म बा0 सो0 आया हुआ है। अपीलांट के दादा के नाम से मिश्लबदोबस्त जारी होकर उनके नाम दर्ज हुआ उनकी फौतगी पर यह भूमि हेमाराम, भागीरथराम पिता जगरूपाराम के नाम दर्ज हुई जिस पर विभाजन करवाकर खेत खसरा संख्या 17 हेमाराम को दिया तथा इसके बदले अन्य भूमि में भागीरथराम को दिया तथा हेमाराम के फौत होने पर इस भूमि में एक मात्र खातेदार अपीलांट हैं तथा अपीलांट के पिता को गुमराह कर एक रास्ता का समर्पण उतरदाता संख्या 01 के द्वारा पारित किया गया। मुतवफी कानाराम पुत्र थानाराम, होशियार एवं बदमाश प्रवृति को था उसने अपीलांट के पिता के विश्वासी होने का फायदा उठाकर रास्ते के रूप में खसरा संख्या 17/1 में 0–15 भूमि को अपीलांट के पिता को दिनांक 14.09.2010 बेचाण कर उनके कुछ दिन बाद ही खसरे के बीचों–बीच आलोच्य समर्पण द्वारा खसरा नंबर 17/3 के रूप में 0–12 बीघा भूमि का समर्पण करवा दिया जबकि बैचाणनामें से नवसृजित खसरा 17/5 रास्ते के रूप में मौजुदा था। लिहाजा अपीलाधीन आदेश [illegible] होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है [illegible] अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कुछ दिन पूर्व अपीलांट के खेत खसरा संख्या 17 / 1 के खातेदारों द्वारा जबरदस्ती बीचो–बीच रास्ता निकलने से आमाद होने से प्रार्थी ने मना कर दिया तो मुतवफी काना के वारिसों ने अपीलांट को धमकाया गया हमारे पिता द्वारा षडयंत्र पुर्वक तेरे खेत के बीचो–बीच रास्ता समर्पित करवा लिया हैं तथा हम उसी जगह रास्ता खोलेगे तब उक्त जगह पर रास्ता खोलने से तथा 17 / 5 का रास्ता बंद करने के खसरा संख्या 11 व 13 के खातेदार 10 परिवार का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता हैं। अपीलांट को एक माह पूर्व ही झूठी शिकायत होने पर अपीलांट को 17 / 5 एवं 17 / 3 में से 17 / 3 रास्ता के रूप में जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 14.09.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा भूमि के खातेदारान हेमाराम भागीरथ पिता जगरूपाराम कौम विश्नोई साकिन डारों की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 20.09.2010 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 00–12 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी कोजा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 00–12 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है [illegible] अधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान [illegible] की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार [illegible] कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2187 दिनांक 20.09.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा भूमि आया हुआ है। जिसमें वर्तमान खसरा नंबर 17/5 को कुछ दिन पूर्व बैचाण कर बिना बताए गलत तरीके से उक्त रास्ते को अपीलांट की खातेदारी में दर्ज करवाकर खसरा संख्या 17/1 को रास्ते से दूर कर अपीलांट के पिता को बिना बताये दूरभावना पूर्वक खेत के चार टुकड़े हो गये तथा अन्य खातेदार रास्ते से वंचित रहे गये इसीलिए उन लोगों को न्यायहित में जोड़ने हेतु वर्तमान में चल रहे रास्ता खसरा संख्या 17/5 को पुनः रास्ते के रूप में समर्पण करना व आलोच्य समर्पण अपास्त कर पुनः मूल खसरा कायम करना न्यायोचित होने से आलोच्य आदेश अपास्त किया जाना विधि सम्मत हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि आलोच्य समर्पण में भूमि रहन होने एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होने से तथा उस रिपोर्ट के साथ नक्शा नहीं होने से अपास्त योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा ग्राम डारों की बेरी में खसरा नंबर 17 रकबा 42 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 0–12 बीघा समर्पण भूमि हेतु पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कोजा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि में रहन नहीं हैं। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2010 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में सहमति से भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 13 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय के इस अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं होने से अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested